

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक गिग0 1237- दो/06

जिला - टीकमगढ़

समय व अर्थ दिनांक


कार्यवाही तथा विवरण

अध्यक्ष जी  
आवेदक की जाति का  
सत्यापन

24.6.14

समय दोपहर  
12.00 बजे


आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री कूरा तनय श्री हल्का अहिरवार निवासी ग्राम सरकर खालसा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 8-7-13 से अनुपस्थित हैं उनका आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।

  
सदस्य

प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।

समय दोपहर  
3.00 बजे

आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री कूरा तनय श्री हल्का अहिरवार निवासी ग्राम सरकर खालसा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 8-7-13 से अनुपस्थित हैं उनका आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं


  
सदस्य

प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।


शाम 5.00 बजे

आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक श्री कूरा तनय श्री हल्का अहिरवार निवासी ग्राम सरकर खालसा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 8-7-13 से अनुपस्थित हैं उनका आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।

अतः म0प्र0मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम परवी में खारिज किया जाता है

  
(अशोक शिवहर)

सदस्य



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12006 पुनरीक्षण.

R 1237 / II / 06

करोडा पुत्र श्री हल्का अहिस्वार, आयु 62 वर्ष,  
निवासी ग्राम सरकर खालसा, तहसील वल्देवगढ़  
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

श्री... द्वारा... को प्रस्तुत।  
करोडा पुत्र...  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

— — आवेदक

वनाम,

करोडा पुत्र कंदरा अहिस्वार,  
निवासी ग्राम सरकर खालसा, तहसील वल्देवगढ़  
जिला टीकमगढ़

2) म०प्र० शासन द्वारा क्लेक्टर, टीकमगढ़

— — अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 40 म०प्र० सू-राजस्व संहिता,  
विरुद्ध आदेश दिनांक 25-3-2006 पारित द्वारा  
न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभान, सागर, प्रकरण  
क्रमांक 899/16 व 04-06 कठनवान करोडा वनाम म०प्र०  
शासन आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-  
संदिग्ध तथ्य :

(अ) यह कि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम सरकर खालसा, तहसील  
वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ का विवादित भूमि पर वर्ष 1868-69 में  
पारित आदेश नामान्तरण आदेश को प्रथम अपील दि० 21-12-08  
को लगभग 22 वर्ष पश्चात् वेतन न्याय प्रथम अपील माननीय  
अनुविभागीय अधिकारी, वल्देवगढ़ के लम्हा प्रस्तुत की जो प्रकरण